E-mail: csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
फोन: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./अनापत्ति/74 /2020 दिनांक : 28/02/2020

अनापत्ति

शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या–1963/सत्तर–2–2013–16(165)/2012 टीसी दिनांकः 11.12.2013, शासनादेश संख्या–710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टी०सी०, दिनांकः 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्याः–23/2016/772/सत्तर–2–2016–16(116)/2015 टी०सी०–II दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांकः **28.02.2020** में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान, पुल बाजार, कंचौसी, रानेपुर, रसूलाबाद, झींझक कानपुर देहात द्वारा प्रस्तावित कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम गौरी, झीझक, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांकः 09.08.2012 के क्रम में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), मुख्यालय, कानपुर देहात (जिलाधिकारी, कानपुर देहात के नामित सदस्य) के पत्रांकः 28/रीडर–अति०मजि०–देहात/2020 दिनांकः 19 फरवरी, 2020 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है–

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्रामः–गौरी, परगनाः–डेरापुर, तहसीलः–डेरापुर व जनपदः–कानपुर देहात में स्थित गाटा संख्या–73/1.297हे० अर्थात 12970 वर्गमीटर पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), मुख्यालय, कानपुर देहात की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांकः 19 फरवरी, 2020 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०–3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
7. शासनादेश संख्याः–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाचन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होगें तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक/सचिव, कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम गौरी, झीझक, कानपुर देहात।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

Gram : UNIVERSITY
Web: www.kanpuruniversity.org
E-mail: csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

फोन: 0512-2560044
फैक्स: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सम्बद्धता सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./मुराका./सम्ब./ 122 /2020
दिनांक : 15/07/2020

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक 15.07.2020) से कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम गौरी, डींडाक, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2020 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों (यथा-याचित पाठ्यक्रम के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है।) को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 *"The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction"* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
2. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2051/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

/

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक, कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम गौरी, डींडाक, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

प्रबन्धक
कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान
कथौली बाजार

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव